पंजाब केसरी
२०-०३-2026

जी.एम.एन. कॉलेज में हुई कानूनी जागरूकता संगोष्ठी

अम्बाला, 19 मार्च (बलराम): छावनी के जी.एम.एन. कॉलेज में वीरवार को कानूनी जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लीगल लिटरेसी सैल की संयोजिका डॉ. भारती विज के मार्गदर्शन में किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों एवं नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से पी.एल.वी. नेहा परवीन ने स्पैशल मेडिएशन ड्राइव एवं हरियाणा कम्युनिटी मेडिएशन प्रोग्राम, यौन शोषण एवं उससे बचाव के कानूनी उपाय, घरेलू हिंसा से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, एन.ए.एल.एस.ए. टोल फ्री हैल्पलाइन 15100 के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता, पीड़ित मुआवजा योजना तथा एन.ए.एल.एस.ए. वीर परिवार सहायता योजना 2025 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

कॉलेज प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने विद्यार्थियों को ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कानूनी जागरूकता एक सशक्त समाज की आधारशिला है। लीगल लिटरेसी सैल की संयोजिका डॉ. भारती विज ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

जी.एम.एन. कॉलेज में आयोजित कानूनी जागरूकता संगोष्ठी को संबोधित करतीं मुख्य वक्ता। (चंद्रमोहन)